न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा कैम्प कोर्ट मालकोसनी

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र – 11/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गोकुलराम पुत्र हीराराम, जाति– सरगरा, निवासी– मालकोसनी, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।	01.	धेवरराम पुत्र नारायणराम
	02.	जोधाराम पुत्र नारायणराम
	03.	ढगलाराम पुत्र नारायणराम
	04.	रूधाराम पुत्र नारायणराम जातियान– जाट, निवासीगण– हनुमान जी के मंदिर के पास, बिलाडा, जिला जोधपुर।
	05.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित –
प्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी, एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांक 08.06.2017

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मालकोसनी, तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 791 मी. 54 रकबा 15 बीघा आई हुई है, जिसकी खातेदारी गोकलराम पुत्र हरीराम जाट, निवासी– बिलाडा की थी लेकिन प्रार्थी गोकुलराम सरगरा ने प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांव के द्वार कैम्प मालकोसनी के समक्ष दिनांक 20.12.2004 को प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड में सहवन से हल्का पटवारी ने प्रार्थी गोकुलराम सरगरा के पिता हीराराम के स्थान पर हरीराम लिख दिया तथा प्रार्थी गोकुलराम सरगरा की जाति सरगरा के स्थान पर जाट लिख दिया गया एवम् ग्राम मालकोसनी के स्थान पर बिलाडा लिख दिया गया, जिसके आधार पर शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पीपाड शहर ने दिनांक 20.05.2005 को अपने आदेश द्वारा गोकलराम पुत्र हरीराम जाट के स्थान पर गोकुलराम पुत्र हीरांराम जाति सरगरा, निवासी– मालकोसनी दर्ज कर दिया, शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर द्वारा पारित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2005 आदेश दिनांक 20.05.2005 से असंतुष्ट होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने माननीय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की, जो राजस्व अपील संख्या 40/2012 अनवान घेवरराम बनाम गोकलराम व अन्य दिंनाक 10.08.2015 को स्वीकार की गई। शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, पीपाड शहर द्वारा पारित आदेश दिंनाक 20.05.2005 को निरस्त कर दिया और प्रकरण को पुनः सुनवाई करने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर्ड किया गया और प्रार्थी गोकुलराम सरगरा को प्रकरण में उपस्थित होने के लिये नोटिस तारीख पेशी का जारी किया गया। प्रार्थी गोकुलराम सरगरा को न्यायालय की तरफ से रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस भेजा गया, जो नोटिस प्रार्थी गोकुलराम सरगरा ने लेने से इन्कार कर दिया, जिसका नोटिस डाक लिफाफा पुनः न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी गोकुलराम सरगरा को भेजे गये रजिस्टर्ड नोटिस की पोस्टल रसीद पेश की गई और प्रार्थी गोकुलराम सरगरा को भेजे गये रजिस्टर्ड नोटिस की इण्डिया पोस्ट द्वारा जारी की गई ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रार्थी को नोटिस डिलीवर होना स्पष्ट बताया गया है। प्रार्थी को भेजा गया रजिस्टर्ड नोटिस तामिल होना माना गया, फिर भी प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है, न ही न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया है, इस कारण उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया, अप्रार्थी संख्या 5 सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा स्वयं उपस्थित हुए।

प्रार्थी गोकुलराम सरगरा द्वारा प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया है, फिर भी प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण पर निर्णय करना

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायोचित है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 791मी॰ 54 रकबा 15 बीघा सम्वत् 2022 में गोकलराम पुत्र हरीराम जाट को आंवटन की गई। आंवटन के आधार पर गोकलराम पुत्र हरीराम निवासी– बिलाडा के नाम से राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 217 के जरिये खातेदारी इन्द्राज की गई, फिर भी इन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए प्रार्थी गोकलराम सरगरा ने दिनांक 20॰12॰2004 को प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के दौर कैम्प मालकोसनी में एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि राजस्व रेकर्ड में सहवन से प्रार्थी के पिता हीराराम जी के स्थान पर गलत नाम हरीराम लिख दिया तथा प्रार्थी की जाति सरगरा है, सरगरा जाति के स्थान पर जाट लिख दिया गया है एवम् प्रार्थी का ग्राम मालकोसनी में मालकोसनी ग्राम के स्थान पर बिलाडा लिख दिया गया है, राजस्व रेकर्ड में शुद्वी कर उसका नाम, जाति एवम् ग्राम सही दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। जिसका बिना कोई अप्रार्थी को नोटिस दिये एकतरफा कार्यवाही करके खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा दी गई। मेरे विनम्र मत में किसी व्यक्ति की खातेदारी से नाम हटाने से पूर्व विधिवत कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस या सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर ही खातेदारी से नाम हटाया जा सकता है। मौजूदा मामले में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी को गलत रूप से हटाया है, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी गोकुलराम सरगरा द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का आंवटन होना बताता है तो वह न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत राजस्व वाद पेश कर अपने हक हकूको का निर्धारण विधिवत रूप से करवाया जाना चाहिये था, मात्र एक साधारण प्रार्थना–पत्र के जरिये वह खातेदारी इन्द्राज पाने का कतई अधिकारी नहीं हो सकता है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का अपने पक्ष में कोई आंवटन–पत्र पेश नहीं किया है, मात्र कयासी दलील उक्त प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत की है, प्रार्थी द्वारा 40 वर्ष बाद बिना कोई कारण बताये एक साधारण प्रार्थना–पत्र के जरिये रेकर्ड में दुरूस्ती करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है, प्रार्थी को 40 वर्ष बाद रेकर्ड की जानकारी नहीं होना उक्त तथ्य मानने योग्य नहीं है। फिर भी प्रार्थी ने अगर रेकर्ड दुरूस्ती कराने की मांग की है तो वह एक साधारण प्रार्थना–पत्र के जरिये नहीं करवा सकता है, क्योंकि इसमें जटिल बिन्दुओं का मामला है, जहां पर जटिल बिन्दुओं का प्रश्न उठ

उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

जाता है, वहां दावे के जरिये ही तनकीयात बनाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर इन जटिल बिन्दुओं का हल निकाला जा सकता है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी को हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। फिर भी हमारे विनम्र मत में प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि वह अपने पक्ष का विवादित भूमि का आंवटन–पत्र के दस्तावेज के जरिये सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत घोषणा खातेदारी का दावा पेश कर अपने हक हकुको का निर्धारण करवाकर अपने पक्ष का नामान्तरकरण डिक्री के जरिये स्वीकृत करवा सकता है, अतः इस स्टेज पर प्रार्थी गोकुलराम सरगरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिंनाक 20.12.2004 को खारिज किया जाता है और तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम मालकोसनी तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 791 रकबा 15 बीघा की जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 2057 दर्ज गोकलराम पुत्र हरीराम कौम जाट साकिन बिलाडा गैर खातेदार के स्थान पर प्रार्थी घेवरराम, जोधाराम, ढगलाराम, रूघाराम पिसरान् नारायणराम कौम जाट, साकिन बिलाडा गैर खातेदार के रूप में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करे। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा
(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा
(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा